दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तसगढ़ में 2 सेकंड के लिए भूकंप के झटके

अम्बिकापुर/रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 4.3 तीव्रता मापी गई है। अंबिकापुर में आए इस भूकंप की गहराई 10 किमी थी। इससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इस भूकंप से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 8 बजकर 10 मिनट दो सेकंड पर अंबिकापुर से 79 किमी डब्ल्यूएनडब्ल्यू पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। इसकी गहराई 10 किमी थी। इस भूकंप की 82.44 लंबा था। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तब अंबिकापुर में रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया था कि अंबिकापुर से 138 किमी दूर आज दोपहर लगभग 15.09 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप 15 किलोमीटर की गहराई में थी।

जिले में 260.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 11 जुलाई तक 260.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 11.8 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 331.5 मिली मीटर, पुसौर में 371.4, खरसिया में 273.8, सारंगढ़ में 364.4, बरमकेला में 235, घरघोड़ा में 202.5, तमनार में 274.9, लैलूंगा में 233.4, धरमजयगढ़ में 169.1, सरिया 193.3 एवं छाल तहसील में 215 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

स्कूली छात्रों ने कर दी सहपाठी की हत्या

रायपुर (आरएनएस)। खमतराई थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के छात्रों ने किसी बात को लेकर अपने ही सहपाठी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र निजी स्कूल में 10 वीं का छात्र था। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर उसके ही क्लास के बच्चों ने उससे विवाद कर मारपीट किया। जिससे छात्र मोहन राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में खमतराई पुलिस ने स्कूली छात्रों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर बाड़ी में दफनाया शव

भाटापारा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में भाई ने भाई की हत्या कर दी। फिर शव को घर की बाड़ी में दफनाया। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। अब पुलिस और शासकीय अमला जमीन पर दबे युवक की पंचनामा कर खोदने की तैयारी में है। मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम तरेंगा का है। मिली जानकारी के अनुसारी भाटापारा के ग्राम तरेंगा में रहने वाले शिव तिवारी (25) की गुमशुदगी की शिकायत कुछ दिन पहले परिजनों ने थाने में की थी। शिकायत के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान शिव के घर की बाड़ी से जमीन के अंदर बदबू आने पर लोगों को आशंका हुई तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। अब जमीन पर दबे युवक की लाश का पंचनामा कर खोदने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शिव के बड़े भाई ने ही शिव की हत्या कर घर की बड़ी में दफना दिया था।

पशुपालन से खुला अतिरिक्त आय का जरिया, खलबोरा के ग्रामीण आर्थिक रूप से हो रहे सशक्त

रायगढ़। रायगढ़ जिले से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत दर्रीडीह के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बाहुल्य वनांचल ग्राम खालबोरा कुछ समय तक इसकी पहचान केवल एक सुदूर आदिवासी ग्राम से ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज यहां शासन की विभिन्न योजनाओं का संयुक्त संचालन के माध्यम से यहां संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिससे लोगों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

ग्राम में परंपरागत पशुपालन से दूर होते लोगों को केवल अतिरिक्त आय के रूप में मजदूरी ही मिल पाती थी। लेकिन आज इस गांव की तस्वीर कुछ और देखने को ही मिल रही है। पशुपालन विभाग द्वारा गौ पालन के लिए शेड निर्माण कर तकरीबन 7 ग्रामीणों को दूध उत्पादन के लिए उन्नत नस्ल की गाय प्रदाय की गई है। जिससे ग्रामीण दूध उत्पादन कर आज खुले बाजार के साथ ग्रामीण स्तर में भी दूध ब्रिकी कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे है। पहले सिर्फ गोबर ब्रिकी कर रहे थे, लेकिन आज उन्नत नस्ल के गाय के मिलने से गांव में दूध उत्पादन और आय संवर्धन की दिशा में अनुकूल असर दिखाई दे रहा है। जिसे देखकर गांव के अन्य ग्रामीण भी पशुपालन के लिए प्रोत्साहित हो रहे है।

गांव के बलदेव अगरिया कहते है कि पहले मजदूरी ही अतिरिक्त आय का मुख्य जरिया था। लेकिन आज शासन की योजना के माध्यम से गाय मिला है। जिसे 8 से 10 लीटर दूध रोजाना प्राप्त होता है। जिसे स्वयं के उपयोग के साथ ही स्थानीय स्तर पर ब्रिकी कर रहे है। जिससे माह में लगभग 8-9 हजार मासिक आमदनी प्राप्त हो रही है। मासिक आय बढऩे से कृषि कार्य में भी आसानी हुई है।

सविता यादव बताती है कि पहले अतिरिक्त आय के रूप में कृषि कार्य आधारित मजदूरी होती थी। आज उन्नत नस्ल की गाय मिलने से 10-12 लीटर दूध प्राप्त हो रही है, जिसे धरमजयगढ़ में बेचते है। जिससे रोजाना 400 रुपए की आमदनी हो रही है। साथ ही घी एवं दही से भी अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह में कोई काम मिल जाने से थोड़ी-बहुत आमदनी होती थी लेकिन आज दूध बिक्री के माध्यम से प्रतिदिन एक निश्चित आमदनी प्राप्त हो रही है, जिससे घर चलाने और बच्चों की मांग पूरी करने में आसानी हो रही है।

मंगलू यादव, रामबाई, बृजलाल, नैहरो एवं शंकर का कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें गाय मिलने से उनकी आय में वृद्धि हुई है। उनके द्वारा दूध से घी, दही, पनीर जैसे खाद सामग्री बनाया जा रहा है। जिससे लाभ होने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। आज उन्हें अतिरिक्त आय के लिए अन्य दैनिक मजदूरी जैसे कार्यों पर निर्भरता कम हुई है। जिन्हे देख गांव के अन्य ग्रामीण भी पशुपालन के लिए प्रोत्साहित हो रहे है।

24 हाथियों ने मचाया आतंक: घरों को तोड़ा,लोगो में दहशत

❑ **सियादेवी मार्ग बंद,कलेक्ट्रेट परिसर आसपास पहुचा दल**

बालोद (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रविवार रात को हाथियों का उत्पात देखने को मिला। वन विभाग के अलर्ट के बाद लोग तो अलर्ट हो गए लेकिन हाथियों ने मकानों व फसलों को नुकसान पहुंचाया। रविवार की रात हाथियों ने बालोद वन परिक्षेत्र के तालगांव परिसर में तबाही मचाई। वन विभाग के ताजा अपड़ेट के अनुसार हाथियों का यह दल जिला कलेक्टोरेट से महज 2 किमी की दूरी पर मौजूद है और किसी भी समय बड़ी घटना की संभावना जताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार बालोद में बीते दो दिनों से हाथियों का खतरा बना हुआ है। यहां के बालोद वन परिक्षेत्र में लगभग 23 से 24 हाथी घूम रहे हैं। दो दिन तो किसी प्रकार के नुकसान की बात सामने नहीं आई लेकिन रविवार को हाथियों ने फसलों को चौपट किया और एक गरीब का घर तोड़ दिया। हाथियों ने तालगॉव के रहने वाले राधेलाल का कच्चा मकान तोड़ दिया। वहीं आसपास के खेतों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों की दहशत के कारण सियादेवी मार्ग को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सियादेवी मंदिर जाने वाले मार्ग के आसपास ही हाथियों ने अपना डेरा डाला है। वन विभाग की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। वन विभाग ने पहले ही तालगांव, आदमाबाद विश्राम गृह, संयुक्त जिला कार्यालय, रक्षित आरक्षी केंद्र , झलमला, सिवनी, देऊरतराई, सेमरकोना, अंधियाटोला, देवारभाट व गस्तीटोला गांव के लोगों को अलर्ट किया हुआ है। बालोद के डीएफओ ने बताया कि सोमवार तडक़े 4:30 बजे का लोकेशन मिला है जिससे पता चला है कि हाथियों का दल कलेक्टोरेट से महज डेढ से दो किमी की दूरी पर है। इसके कारण शहरी क्षेत्र में हाथियों का खतरा पैदा हो गया है। यदि हाथियों का दल शहर में प्रवेश करता है परेशानी वाली बातें हो सकती है। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार नजर रखे हुए है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पालीटेक्निक एवं आईटीआई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, उन्हें शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12 वीं से उच्चतर के पंजीयन/आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशानुसार NSP Portal-scholarships.gov.in आवेदन किया जाना है तथा इस पोर्टल में सफल पंजीयन के पश्चात आवेदन की शेष जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पोर्टल http://postmatric-scholarship.cg.nic.in में आवेदन करना अनिवार्य है। उक्त दोनों पोर्टल पर आवेदन नहीं करने पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होगा। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एवं नवीनीकरण, पंजीयन, संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक हेतु विभाग द्वारा तिथि निर्धारित की गई है। जिसके तहत विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन (नवीन एवं नवीनीकरण) हेतु 15 जुलाई, ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु 25 जुलाई तक एवं स्वीकृति आदेश करने हेतु 10 अगस्त 2022 तक की तिथि निर्धारित की गयी है। निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे एवं ड्राफ्ट प्रपोजल एवं स्वीकृति लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वत: जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।

आठ मिलर्स से कस्टम मिलिंग की अधिक भुगतान राशि की हुई वसूली

❑ **दो मिलर्स से वसूली की कार्यवाही जारी**

रायगढ़ । 10 राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग का दोहरा भुगतान के संबंध में खबरे प्रकाशित हुयी थी। जिसके संबंध में जिला विपणन अधिकारी शंभू गुप्ता ने बताया कि कस्टम मिलिंग बिल का भुगतान मुख्यालय के ऑनलाईन मॉड्यूल के आधार पर ही किया जाता है। चूंकि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 का कस्टम मिलिंग भुगतान हेतु मुख्य बिल के उपरांत एनआईसी द्वारा पूरक बिल बनाने हेतु प्रावधान किया गया था। ऑनलाईन मॉड्यूल में कुल 127 पूरक देयक तैयार किया गया। जिसमें 10 राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग बिल मॉड्यूल के तकनीकी त्रुटिवश अधिक भुगतान होना पाया गया। साथ ही इस प्रकार की आधिक्य भुगतान राज्य के अन्य चार जिलों में भी पाया गया। अधिक भुगतान के संबंध में मुख्यालय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया तथा सभी 10 मिलर्स को वसूली के संबंध में आदेश जारी किया गया। जिसमें से आज दिनांक तक 8 मिलर्स द्वारा चेक/आरटीजीएस के माध्यम से राशि वापस जमा कर दिया गया है। शेष दो मिलर्स द्वारा भी 2-3 कार्य दिवस में राशि जमा करने हेतु समय मांगी गयी है। उक्त सभी मिलर्स 2020-21 एवं 2021-22 में भी पंजीकृत है, जिसकी कस्टम मिलिंग की राशि भुगतान किया जाना शेष है। यदि मिलर्स द्वारा राशि जमा नहीं किया जाता है तो, इस स्थिति में आगामी वर्ष 2020-21 के कस्टम मिलिंग बिल से कटौती किया जा सकता था। चूंकि कस्टम मिलिंग ऑनलाईन बिल मॉड्यूल के आधार पर कस्टम मिलर्स को मुख्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है। बालाजी राईस मिल, बरमकेला के पूरक बिल निरस्त करने के संबंध में मुख्यालय को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, जिसके पश्चात सभी मिलर्स के बिलों को पुन: चेक करने पर उक्त 10 राईस मिलर्स के बिल में आधिक्य भुगतान की जानकारी हुई तथा इस संबंध में उक्तानुसार 8 मिलर्स से अधिक भुगतान की राशि वसूली हो चुकी है एवं शेष दो मिलर्स की वसूली दो-तीन कार्य दिवस में हो जाएगी।

इन राईस मिलर्स से हुई वसूली

जिन 10 राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग बिल मॉड्यूल के तकनीकी त्रुटिवश अधिक भुगतान हुआ और उनमें से 8 राइस मिलर्स से वसूली हो चुकी है, इनमें अनुराग ट्रेडर्स, गोपाल राईस मिल, गौरीशंकर राईस मिल, जगदीश राईस मिल प्रा.लि.,जय हनुमान राईस मिल, जगदीश राईस मिल प्रा.लि, मां अन्नपूर्णा राईस मिल, राधाकृष्ण फेरो एलॉय प्रा.लि.राईस मिल शामिल है। शेष 2 राइस मिलर्स बालाजी राईस मिल एवं श्याम राईस मिल से वसूली की कार्यवाही जारी है।

धोखाधड़ी के फरार आरोपी को चक्रधरनगर पुलिस ने न्यायालय परिसर के बाहर से किया गिरफ्तार

❑ **शातिर आरोपी मकान बनाने का ठेका लेकर एडवांस 8.49 लाख रुपए लेकर हो गया था फरार**

रायगढ़। दिनांक 11.07.2022 को थाना चक्रधरनगर के सहायक उप निरीक्षक प्रेम नारायण पाण्डेय एवं हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर रायगढ़ न्यायालय के बाहर धोखाधड़ी के फरार आरोपी पंकज गुप्ता उर्फ रिंकु निवासी पंडरीपानी थाना फरसाबहार जिला जशपुर को हिरासत में लिया गया जिसे थाने में दर्ज धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

शातिर आरोपी के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में दिनांक 21/10/2021 को सूर्याबिहार कालोनी रायगढ़ में रहने वाले प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा मकान बनाने का ठेका लेकर 8,49,100/- रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। आरोपी पिछले करीब 9 माह से गिरफ्तारी के भय से लुक छिप रहा था। सीएसपी रायगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी, गिरफ्तारी के निर्देश थाना प्रभारी चक्रधरनगर को दिया गया था। मामले के अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उप निरीक्षक प्रेम नारायण पाण्डेय द्वारा आरोपी की सूचना देने उसके सकूनत पर मुखबिर लगाकर रखा गया था। आज सुबह मुखबिर द्वारा आरोपी पंकज गुप्ता उर्फ रिंकु के अपने केस में जमानत लेने रायगढ़ आने वाला है, सूचना दिया गया जिस पर एएसआई पाण्डेय न्यायालय के बाहर स्टाफ के साथ आरोपी पर निगाह रखे हुये थे, जिसे दोपहर धर दबोचा गया और अप.क्र. 558/2021 धारा 420 IPC में विधिवत आरोपी पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू पिता बलदेव प्रसाद गुप्ता उम्र 38 साल ग्राम पंडरीपानी थाना फरसाबहार जिला जशपुर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी किरण गुप्ता के निर्देशन पर कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक प्रेम नारायण पाण्डेय एवं हमराह आरक्षक श्याम सिदार थाना चक्रधरनगर की अहम भूमिका रही है।

मामले का संक्षप्ति विवरण-

रिपोर्टकर्ता के बताये अनुसार वर्ष 2018-2019 में केलो बिहार कालोनी में किराये पर परिवार सहित रहता था, जहां ग्राम पंडरीपानी थाना फरसाबहार जिला जशपुर का रहने वाला पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू भी किराये पर रहता था। एक ही कालोनी में रहने से आपस में जान पहचान हो गया। पंकज गुप्ता अपने आप को सिविल कंट्रेक्टर का काम करना बताता था, उसे जानकारी हुई कि सूर्या बिहार में लिये जमीन में मकान बनवाने वाले हैं। तब उसने 1500 रू वर्ग फीट के हिसाब से मकान बनाने का प्रस्ताव दिया। उसकी बातों में आकर 1500 वर्ग फीट में मकान बनाने का ठेका उसे दे दिया। विश्वास, परिचय होने से मकान बनाने के संबंध में कोई लिखा पढी नहीं किये थे। पंकज गुप्ता के कहने पर उसे मकान निर्माण सामाग्री खरीदने के नाम दिनांक 05.03.2019 से 08.01.2020 तक नेट बैकिंग के जरिये कुल 8,49,100 /- रूपये दिया। रूपये लेने के बाद पंकज गुप्ता मकान निर्माण सामाग्री नहीं लाने पर उससे पूछने पर आज कल - आज कल कहकर टालते रहा, सम्पर्क करने पर पैसा लौटा दूंगा या उतने रकम का समान दे दूंगा कहकर अश्वासन दिया था बाद में पंकज केलो विहार कालोनी छोडकर अपने गृह ग्राम भाग गया। आवेदन पर पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू निवासी फरसाबहार जशपुर के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 558/2021 धारा 420 IPC का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया जाकर आज आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

महिला से छेड़खानी के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 10.07.2022 को थाना कोतवाली में स्थानीय महिला आरोपी मनीष सोनी पिता पूनमचंद सोनी (28 वर्ष) पर मार्केट से घर लौटते वक्त सत्तीगुडी चौक के पास गाली गलौच कर छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के निर्देशन पर तत्काल पीड़िता के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर महिला विवेचक प्रधान आरक्षक समुंद रनकर द्वारा पीड़िता का कथन लिया गया जिसमें वह बताई कि गृहिणी है। कल दिनांक 10.07.2022 के शाम करीब 04.30 बजे मार्केट से वापस घर जाते समय सत्तीगुडी चौक के पास मनीष सोनी बेवजह गाली गलौच कर हाथ को पकड़कर गंदी नियत से खींचने लगा जिसे मना करने पर अभद्रता से धक्का-मुक्की मारपीट किया। घटना की रिपोर्ट पश्चात आरोपी के सकुनत पर प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, प्रधान आरक्षक दिग्विजय वैष्णव व हमराह स्टाफ द्वारा दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिसे आज मारपीट, छेड़खानी के आरोप में सीजेएम कोर्ट रायगढ़ रिमांड पर भेजा गया है।

युवती के भाई व मौसा ने की शादी में अड़चन : परेशान युवक जहर सेवन कर किया आत्महत्या

❑ **आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार**

रायगढ़। थाना केडार अन्तर्गत ग्राम खजरी का गिरधर साहू पिता बद्रीका प्रसाद साहू उम्र 26 वर्ष दिनांक 19.06.2022 को कीटनाशक का सेवन कर लिया था , जिसे घरवाले सारंगढ़ अस्पताल लेकर गये, जहां वह फौत हो गया। घटना के संबंध में थाना केडार में मर्ग कायम कर जांच दौरान मृतक के परिवारवालों और गांव के लोगों का कथन लेकर थाना प्रभारी केडार उपनिरीक्षक झामलाल मार्को द्वारा जांच किया गया जिसमें पाये कि गिरधर साहू (मृतक) का समीप के गांव की सजातीय लड़की के साथ दो साल से प्रेम संबंध चल रहा था। दिनांक 11.06.2022 को लड़की के घरवाले दोनों को एक साथ देखकर गिरधर को डांट फटकार कर मारपीट किये। तब गिरधर साहू लकड़ी से शादी करूंगा कहकर अपने घरवालों को अपनी पसंद बताकर लड़की के घर शादी की बात करने भेजा था। दोनों की शादी को लेकर लड़का-लड़की के माता-पिता की सहमति बन ही रही थी कि लड़की के भाई और मौसा शादी से इंकार किये और लड़के को लेकर कई तरह की बातें किये जिससे बात आगे नहीं बढी और लड़की के घरवाले शादी से इंकार कर दिये जिससे गिरधर साहू क्षुब्द होकर बंद मारने वाली कीटनाशक जहर पीकर आत्माहत्या कर लिया। मर्ग जांच पर लडकी पक्ष के रिस्तेदार पर लड़के को प्रताडित कर आत्महत्या के लिये मजबूर किये जाना पाये जाने पर धारा 306 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लड़की के भाई और मौसा के विरूद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पीएचसी रामभांठा में हुआ विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन

❑ **बेहतर होगा कल, आज ही करें हम मिलकर पहल**

रायगढ़। महापौर जानकी काटजू के मुख्य आतिथ्य में आज जिला रायगढ़ के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामभांठा में विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों को परिवार नियोजन की अस्थायी विधि के बारे में जानकारी व नि:शुल्क सेवा प्रदाय की गई। इस मौके पर महापौर काटजू ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कल, जब आज ही हम सब इसे मिलकर करेंगे पहल। उन्होंने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने योग्य दम्पत्तियों को सम्मानित कर उन्हें उपहार भेंट किए।

जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के अंतर्गत 27 जून से 10 जूलाई तक दम्पत्ति संपर्क पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान मितानिनों के सहयोग से हितग्राहियों को उनके व उनके परिवार की खुशहाली बनाये रखने के लिये उन गर्भवती माताओं को पहले बच्चे के प्रथम एएनसी जांच के दौरान उसी समय से परिवार नियोजन के बारे समझाईश व जानकारी के बारे में बतायी गई।

सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी और स्त्रीरोग चिकित्सक द्वारा अवगत कराया कि मालाएन, कॉपरटी-380, अंतरा इजेक्शन, छाया, ई-पिल्स जैसे अस्थायी साधन व स्थायी साधन में एलटीटी आपरेशन पश्चात महिला मरीज को 24 घंटे के लिए भर्ती किया जाता है। एनएसव्हीटी पुरूष नसबंदी है बिना चीरा टांका के साथ किया जाता है जिसमें आपरेशन पश्चात मरीज को उसी दिन डिस्चार्ज किया जाता हैं। एनएसव्हीटी सभी शासकीय संस्थानों में नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन के सहयोग से आज सास बहू सम्मेलन का आयोजन कर पात्र जो अंतरा इंजेक्शन, कॉपरटी, मालाएन, छाया का उपयोग करने वाले हितग्राही को उपहार स्वरूप अस्थायी साधनों की जानकारी देते हुए प्रदाय किया गया तथा परिवार नियोजन की अस्थायी विधि के बारें में विस्तृत जानकारी स्त्रीरोग चिकित्सक डॉ.काकोली पटनायक द्वारा दी गई जिनके द्वारा जनसामान्य को परिवार नियोजन की इन विधियों के लाभ से सुरक्षित उपाय व सही जानकारी से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित डॉक्टरों ने बताया कि परिवार नियोजन की विधि अपनाने से हर परिवार सुखी बन सकता है और जो भी मिथ्या एवं भ्रांतियां व अफवाहें होती है उन पर ध्यान न देकर चिकित्सकीय परामर्श व सलाह लें। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ.एस.एन.टोप्पो, डॉ.राजेश मिश्रा, डॉ.राकेश वर्मा, मीडिया प्रभारी उमा महंत तथा अन्य अधिकारी /कर्मचारी उपस्थित हुए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480